राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 626-29 दिनांकः– 6/4/18

1.आयुक्त,
भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी DILRMP,
राजस्थान, जयपुर।
2.संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–1),
शासन सचिवालय, राजस्थान,
जयपुर।

विषय :– ई–धरती प्रोग्राम के अनतर्गत सेग्रीगेशन के दौरान क्षेत्रफल की इकाई बीघा–बिस्वा से हैक्टेयर में खसरों का एरिया रूपान्तरित करने पर खसरों व उनमें उपस्थित किस्मों के कुल क्षेत्रफल में आ रहे अनतर के संबंध में समाधान चाहने बाबत्।

प्रसंग :– तकनीकी निदेशक एनआईसी, जयपुर का पत्रांक 8182–83 दिनांक 28.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से तकनीकी निदेशक एनआईसी, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि जिन तहसीलों में क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा में है वहां सेग्रीगेशन के समय जरीब के अनुसार बीघा–बिस्वा से हैक्टेयर में रूपान्तरित करने पर गणितीय गणना से खसरों व उनमें उपस्थित किस्मों के कुल क्षेत्रफल में खसरों का हैक्टेयर का रकबा मिलान नहीं हो रहा है।

कई बार दशमलव के बाद चार से भी अधिक रकबे की वेल्यू आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या दशमलव के बाद चार से अधिक डिजिट में एरिया दिखाया जाये ताकि खातेदारों के हिस्से के गुणनफल के कुल योग में लगभग 0.01% के आ रहे अन्तर को ठीक किया जा सके। इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त क्रम में निवेदन है कि इस संबंध में निम्न उदाहरण दृष्टव्य है :–
यदि किसी जमाबन्दी में 165 फुट की जरीब के एक बीघा को हैक्टेयर में परिवर्तित किया जाता है तो 1बीघा = 2529.28 वर्ग मीटर = 0.253 हैक्टेयर होता है जिसमे अन्तिम नम्बर को राउण्ड ऑफ किया जाता है। इसी प्रकार यदि 4 बीघा =1.012 हैक्टेयर को तीन काश्तकारों के बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो 1.012 ÷ 3 = .3373333..... (अनन्त तक) आने के कारण अन्तिम अंक को राउण्ड ऑफ किए जाने पर आ रहे अन्तर के संबंध में प्रासंगिक पत्र से मार्गदर्शन चाहा है। उक्त प्रकार के प्रकरणों में योग किए जाने पर ग्राम के रकबे में अन्तर आएगा।

इस संबंध में निवेदन हैकि उक्त समान प्रकृति के प्रकरणों में अन्तिम अंको का योग किए जाने से ग्राम के रकबे में आ रहे अन्तर को ठीक किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में DILRMP योजना के अन्तर्गत समस्त सह खातेदारों के हिस्से अनुसार रकबे को सेग्रिगेशन प्रकिया में दर्ज किया जाना है। इस संबंध में समस्त सह खातेदारों का हिस्सा विभाजित किये जाने पर कुछ खातों में अनन्त तक पूर्णांक की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है जो उक्त उदाहरण से स्पष्ट होती है।

ऐसी स्थिति में प्रथमतः यह निर्णय लिया जाना है कि सेग्रिगेशन के दौरान सहखातेदारों का रकबा दशमलव के पश्चात् किस अंक तक रखा जाना है। इस संबंध में दशमलव के पश्चात अधिकतम चार (4) अंकों तक रकबा दर्ज किया जाता उचित होगा। दशमलव के बाद चार (4) अंको में 1 वर्गमीटर के एक हजारवे हिस्से तक सह खातेदारों के हिस्से का अन्तिम विभाजन का निर्णय हो जायेगा।

इस संबंध में दूसरा निर्णय यह लिया जाना है कि यदि दशमलव के पश्चात् चार अंकों तक रकबा विभाजित किया जाता है तो उसका पूर्णांक नहीं बनता है। रकबे का पूर्णांक नहीं होने से खाते तथा ग्राम के कुल रकबे (कुल देह) में भिन्नता उत्पन्न होगी।

335/DILRMP

समस्या के समाधान के लिये ऐसे खाते के समस्त सहखातेदारों में से किस सहखातेदार के रकबे में दशमलव के एक हजारवें हिस्से अर्थात् 0.0001 की वृद्धि किया जाना है। ऐसे प्रकरणों में समस्त सहखातेदारों में से एक सहखातेदार को 0.0001 हिस्सा अन्य सहखातेदारों (में से एक सहखातेदार) के मुकाबले अधिक दिये जाने से व्यावहारिक रूप से किसी भी खातेदार को नुकसान नही होगा व भौतिक रूप से किसी प्रकार की भिन्नता भी उत्पन्न नहीं होगी। इस समस्या का समाधान हेतु खाते में प्रथम अथवा अन्तिम सहखातेदार के रकबे में 0.0001 की वृद्धि किया जा सकता है। साथ ही ऐसे खाते का रकबा तथा समस्त ग्राम का रकबा (कुल देह) भी यथावत् बना रहेगा।

समस्या के समाधान हेतु प्रकरण में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर